724

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

**कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर–305001**

क्रमांक / कअ / एफ. 31 / न्याय / 13 दिनांक– 13 / 01 / 2017

# आदेश

यतः मुझे प्रतीत कराया गया कि जिला अजमेर में मकर संक्रान्ति पर्व व जिला मुख्यालय पर अक्षय तृतीया पर्व पर पतंगबाजी हेतु धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझा तथा चाईनीज मांझा प्रयुक्त किया जाने लगा है। यह मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण के प्रयोग से तैयार किया जाता है, जो पतंग के पेच लडाने में अधिक कारगर होता है। इस कारण से इसका प्रयोग अधिक किया जाने लगा है। उक्त मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण होने से निर्मित होने से धारदार तथा विद्युत का सुचालक होता है। जिसके उपयोग के दौरान दोपहिया वाहन चालक तथा पक्षियों को अत्याधिक जानमाल का नुकसान होना संभाव्य है, साथ ही विद्युत का सुचालक होने के कारण विद्युत तारों के सम्पर्क में आने पर विद्युत प्रवाह होने से पतंग उडाने वाले को भी नुकसान पहुचना तथा विद्युत सप्लाई में बाधा उत्पन्न होना सभाव्य है। इस समस्या और खतरे के निवारण हेतु यह आवश्यक है कि **"धातु निर्मित माझा"** तथा Chinese manjha ( Chinese made thread) के उपयोग एवं विक्रय का निषेध किया जावें।

अतः लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पशु पक्षियों की जान के खतरे तथा विद्युत प्रसारण को बाधारहित बनाये रखने हेतु मैं निषेधात्मक आदेश करने हेतु सन्तुष्ट हूँ।

मैं, अरविन्द कुमार सेंगवा, R..A.S, अति, जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अजमेर धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक स्वास्थ्य व विद्युत संचालन बाधारहित बनाये रखने एवं पक्षियों के लिये बडे पैमाने पर खतरा बन चुके "धातु निर्मित मांझा" तथा Chinese manjha (Chinese made thread) की थोक व खुदरा बिक्री तथा उपयोग राजस्व जिला अजमेर की क्षेत्राधिकारिता में निषेध / प्रतिबंधित करने का आदेश देता हूँ। कोई भी व्यक्ति यदि उपरोक्त प्रकार के मांझों का भण्डारण विक्रय तथा परिवहन करेगा तो उसके विरूद्व यथाप्रचलित सम्यक कानून के तहत कार्यवाही की जावेगी। आमजन को यह भी निषेध किया जाता है कि पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए प्रातः 6.00 से 8.00 बजे तथा सायं 5.00 से 7.00 बजे तक पतंग उडाने पर प्रतिबन्ध रहेगा।

चूँकि उक्त आदेश सार्वजनिक हित में है एवं इस आदेश से प्रभावित व्यक्तियों पर नोटिस की तामील सामयिक समय से करवाया जाना संभव नहीं है। अतः इस एक तरफा आदेश का व्यापक तौर पर पुलिस जरिये ध्वनि यंत्र व अन्य माध्यम यथा समाचार पत्र से लोक सूचना हेतु प्रचार–प्रसार किया जावें। उक्त आदेश की अवमानना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा तथा अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व नियमानुसार अभियोग चलाया जावेगा। **यह आदेश दिनांक 31 / 1 / 2017 तक प्रभावी रहेगा।**

यह आदेश आज **दिनांक 13 / 01 / 2017** को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

13/1/17

(अरविन्द कुमार सेंगवा)
अति0जिलामजिस्ट्रेट
(शहर) अजमेर

C:\Documents and Settings\Universal\Desktop\JUDI\HARISH\LOKSABHA 09- 144.doc